

परिशिष्ट 'क'

समूह 'क' और 'ख' के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें और अनुभव

(नियम 8 देखिये)

पद	अनिवार्य
(1) कृषि अधिकारी	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि (ख) हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान, और (ग) प्रसार प्रशासन में क्षेत्र-कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अधिमानी सामान्यतया सहकारिता के संम्बन्ध में और विशेष रूप से प्रबंध के संम्बन्ध में कृषि विकास का अनुभव।
(2) प्रसंस्करण सलाहकार	(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिक-विद्युत का रासायनिक अभियन्त्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक, (ख) प्रसंस्करण इकाई, विशेष रूप से तेल, चावल और गन्ना इकाईयों

	के अधिष्ठान और उन्हें चलाने का ज्ञान और अनुभव ।
(3) सहायक निबन्धक	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में स्नातक उपाधि, (ख) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान।
(4) भेषजिक विशेषज्ञ	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फार्मसी में स्नातक उपाधि या जड़ी-बूटियों के परीक्षण, उनकी पहचान, उनका संग्रहण, श्रेणीकरण और उनके विपणन में तीन वर्ष के अनुभव का डिप्लोमा। (ख) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान अनिवार्य।
(5) प्रशीतन अभियन्ता	यांत्रिक अभियन्त्रण में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि या किसी वैकल्पिक अर्हता के रूप में विद्युत अभियन्त्रण में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि । अधिमानी (एक) प्रशीतन में एम0ई0 (दो) प्रशीतन में अनुभव अनिवार्य।
(6) प्रभारी अधिकारी सहकारी विवरणी	(1) कला या विज्ञान में एक विषय सांख्यकी के साथ उपाधि (2) सांख्यकी कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव । अधिमानी (एक) सांख्यकी या गणितीय सांख्यकीय के साथ-साथ अर्थशास्त्र,

कृषि विपणन और बैंकिंग के एक प्रश्न-पत्र के साथ स्नातकोत्तर
उपाधि ।

(दो) मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्था में दो वर्ष का प्रशिक्षण या दिल्ली
कलकत्ता से सांख्यिकी में डिप्लोमा ।